



कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-6 () उपा.राज.(सा.प्र.)/ननिज/2017/ 19

दिनांक:- 4.5.17

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), लघु विज्ञापन बोर्ड 8x4 (यूनिपोल), निर्मित यूनिपोल साईट 20x10 वर्गफुट, निर्मित डिजिटल यूनिपोल व सूची में अंकित चिह्नित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईट लगाने व यूनिपोल विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 123 के बाहर की जायेगी।

नीलामी दि. 23.05.2017 से 24.05.2017 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 4.00 बजे तक की जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1	यूनिपोल— मोती ढूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जान, मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व)	22.05.2017	16'X8' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट
	कियोस्क (बिजली के खंभों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), हवामहल (पूर्व) जोन, विद्याधर नगर जोन, सांगानेर जोन, मोतीढूंगरी जोन, निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), निर्मित डिजिटल यूनिपोल,(एक समूह) लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4' फुट (एक समूह), निर्मित यूनिपोल साईट 20x10 वर्गफुट,	23.05.2017	कियोस्क हेतु रुपये 1,00,000/- प्रति जोन, ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री) प्रति 20,000 रु. (बीस हजार रु.) एवं निर्मित डिजिटल यूनिपोल साईट रुपये 5,00,000/- पांच लाख रुपये समूह में, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) समूह में रुपये 50,000/- (पचास हजार रु.), निर्मित यूनिपोल साईट 20'X10 रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति
3	उपरोक्त में से शेष बची साईट्स	24.05.2017	शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार।


नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनिपोल, निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) एवं निर्मित डिजिटल यूनिपोल, लघु विज्ञापन बोर्ड 8x4 (यूनिपोल), निर्मित यूनिपोल साईट 20x10 वर्गफुट लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जायेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटों हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगर द्वारा बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 221 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 221 में कार्यदिवस समय में देखी होगी।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।


उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी/हिन्दी राष्ट्रीय (दिल्ली-मुम्बई के समाचार पत्र) एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।


उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स
की शर्तें नीलामी : मई 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट पर स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

- जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
- निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2017 से 31 मई 2018) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
- नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक / डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2018 से 31 मई 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक / डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक / डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2019 से 31 मई 2020 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक / डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
- साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा विना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। विना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जावेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
- कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
- लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्च पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्च वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिलिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिलिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (खख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अर्चीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वपिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईंनेज (गैन्ट्री) की शर्तें

नीलामी : मई 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईंनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2017 से 31 मई 2018) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईंनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
- उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईंनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईंनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईंनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
- ओवर हैड साईंनेज पर लगे दिशा सूचक साईंनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईंनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
- बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
- नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवरहैड साईंनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2018 से 31 मई 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2019 से 31 मई 2020 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ओवर हैड साईंनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईंनेज पर किसी प्रकार

का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जायेगा तो उसे तुरंत हटाया जायेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा । ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा । ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी ।
11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जायेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
13. जनहित/ यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा । इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा । 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा ।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी ।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी ।
18. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा ।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा ।
21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा ।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व—प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : मई 2017

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की जोन बार नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होंगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञाप्ति के अनुसार की जावेगी।

1. लाईसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 जून 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती।
2. क्षेत्र :- कियोस्क की नीलामी निगम के तीन जोनों के लिए पृथक-पृथक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकता। जोनों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

हवामहल जोन (पूर्व):-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूँगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

विद्याधर नगर जोन:-

चांदपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमें नाहरी का नाका सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र चांदपोल गेट बाहर से स्टेशन रोड को शामिल करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमें बनीपार्क बड़ोदिया बस्ती झोटवाडा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमें झोटवाडा सीकर रोड, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, अम्बाबाड़ी क्षेत्र शामिल है।

मोतीझुंगरी जोन:-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम. आई. रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग / घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीझुंगरी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल हैं, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टॉक रोड टॉक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टॉक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाईन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

सांगानेर जोन:-

चू. सांगानेर रोड मानसरोवर पुलिया (आर.ओ.बी.) की रेलवे लाईन से दक्षिणी भाग को शामिल करते हुये समस्त सांगानेर क्षेत्र एवं टॉक रोड, तारो की कूट, ई.पी.चौराहे से दक्षिणी भाग से नगर निगम सीमा तक का ऐरिया एवं जवाहर सर्किल से मालवीय नगर पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग जिसमें मालवीय नगर डी-ब्लॉक, जगतपुरा पुलिया (आर.ओ.बी.) दिल्ली रेलवे लाईन का दक्षिणी भाग का समस्त ऐरिया शामिल है।

03. निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
 - (क) सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।
 - (ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (जनपथ रोड) पांचबत्ती से विधान सभा तक जे.एल.एन. रोड इत्यादि एवं सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।
04. खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्जे-खर्चे के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
05. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा विलप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
06. खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्यूटराइज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
07. जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगावा सकेगा वहा यदि सड़कों के दाये ओर बाये ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
08. खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाईडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊंचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाईसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुधारा रखेगा। तथा निगम की उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भड़कीले तथा आपति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जे-खर्च लाईसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया

- जावेगा ना ही कोई झंडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झंडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटाया जावे।
9. कियोरक लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य कियोरक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 10. लाईसेन्सी जो कियोरक बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
 11. कियोरक लाईसेन्सी को स्वयं के खर्च पर लगाने होगे तथा लाईसेन्सी की सम्पति होगी एवं कियोरक खम्बों पर एक रुपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोरक हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्च लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
 12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 100000/- अक्षरे (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोरक की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
 13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोरक (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2018 से 31 मई 2019 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2019 से 31 मई 2020 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
 14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
 15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 16. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
 17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
 18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़चन/कारण के कियोरक हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोरक हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुर्णरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेंसधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
 19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोरक को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
 22. नीलामी में लिए गये कियोरक के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
 23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 25. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मई 2017

नगर निगम जयपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित डिजिटल यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित डिजिटल यूनिपोल साइटों के लिए नीलामी सूची अनुसार 25 साइटों के समूह के आधार पर बोली अमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए डिजिटल यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2017 से 31 मई 2018) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए डिजिटल यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित डिजिटल यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर डिजिटल वॉच का प्रदर्शित करना होगा। जिसमें समय, दिनांक, वार एवं तापमान दिखाया जाना आवश्यक होगा।
4. 25 साइटों के समूह डिजिटल यूनिपोलों के लिए रूपये 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अधोग्रह घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए डिजिटल यूनिपोल साइटों का (01 जून 2018 से 31 मई 2019) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष के लिए डिजिटल यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 जून 2019 से 31 मई 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
7. डिजिटल यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) डिजिटल यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के डिजिटल यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. डिजिटल यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा एवं प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर डिजिटल यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में डिजिटल यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। डिजिटल यूनिपोल गिरने से

- अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
12. लाईसेन्स अवधि में डिजिटल यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। डिजिटल यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी डिजिटल यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। डिजिटल यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के डिजिटल यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य रिस्ति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रिफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी डिजिटल यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिस्ति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (डिजिटल यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाइ जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेंस समाप्ति पर डिजिटल यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा डिजिटल यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर डिजिटल यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से डिजिटल यूनिपोल का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर रिस्त सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) साईज 8'X4'

पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की
लाईसेन्स की शर्तें नीलामी वर्ष : मई 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम सीमा में आने वाले 50 लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एकजाई-एकमुश्त की जायेगी ।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी एक वर्ष (1 जून 2017 से 31 मई 2018) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साईज 8' X 4' फीट स्थीकृत सूची के अनुसार होगी । अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी । नीलामी एक वर्ष के लिए होगी । नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
3. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के लिए पचास हजार रुपये बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे । उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी । असफल बोलीदाता को अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी ।
4. नीलामी के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की स्थीकृत उच्चतम बोलीदाता की बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्थीकृत होने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिनस के अंदर जमा करानी होगी । आगामी वर्ष (1 जून 2018 से 31 मई 2019) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्थीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । इस प्रकार वर्ष (1 जून 2019 से 31 मई 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्थीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी । नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी किये जाने के पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में सहयोग करेगा एवं लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी । इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा ।
8. बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं लगायेगा । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा । अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी । अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) से अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा ।
9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
10. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा । इससे भिन्न रूप से लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा ।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से इन लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) का निर्माण करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जायेगा । कोई भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर डबल साईड विज्ञापन नहीं होगा ।

12. लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन, नियोन अथवा चलित बोर्ड, फिल्मी पोस्टर आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर अपनी फर्म का नाम एवं साइट नम्बर, लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा । ऐसा न करने पर लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तुफान आदि की रिथित में लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) नीचे नहीं गिरे । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा । स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी । लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन विधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे ।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा । इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घन्टे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा ।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य रिथित में कोई राशि वापस नहीं होगी ।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा ।
25. अगर कोई लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबिधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिथित में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
26. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
27. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा ।
28. सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) एकरूपता से होंगे । भूमि/फुटपाथ की सतह से सभी लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) की ऊँचाई 7 फुट होगी । साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा ।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मई 2017

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साईटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2017 से 31 मई 2018) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साईट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रूपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साईट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी (वर्ष 01 जून 2018 से 31 मई 2019) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (01 जून 2019 से 31 मई 2020) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की हाँ। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
12. लाईसेन्स अवधि में $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामाना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिवंशित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना ($20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेन्स समाप्ति पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटावाकर सही हालत में लाईसेन्स समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से $20' \times 10'$ वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
नगर निगम जयपुर

यूनिपोल साईट
मोतीझुंगरी जोन मई 2017
नीलामी की सूची

1	MDZ-03	16X8	टोक रोड, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी.स्कूल की दीवार के पास बने रसीप लाईन पर साईट सं. मोतीझुंगरी जोन 2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर, दीवार के समानान्तर।	
2	MDZ-05	16X8	टोक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर रसीप लाईन पर, वि.प.न. 2	
3	MDZ- 18	16X8	टोक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, अजमेरी गेट की ओर बने पुलिस बूथ के पास समानान्तर।	
4	MDZ- 25	16X8	टोक रोड, रामवाग सर्किल से सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानान्तर।	
5	MDZ- 31	16X8	टोक रोड,, सौम्य मार्ग के कोने पर, नेहरू बाल उद्यान की बाउंड्रीवाल के सहारे	
6	MDZ- 33	16X8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.2।	
7	MDZ- 41	16X8	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
8	MDZ- 42	16X8	उपरोक्त सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर, वि.प.न.2	
9	MDZ- 43	16X8	शांति पथ तिलक नगर, टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के समानान्तर	
10	MDZ-46	16X8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर	
11	MDZ-47	16X8	मोतीझुंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे, गोविन्द मार्ग की ओर से समानान्तर, वि.प.न.1।	
12	MDZ-48	16X8	मोतीझुंगरी रोड पर धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे।	
13	MDZ- 55	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल मुग्धबधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
14	MDZ- 58	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, उपरोक्त के सामने, एम.एन.आई.टी. की दीवार के समानान्तर	
15	MDZ- 59	16X8	जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1	
16	MDZ-66	16X8	एम.आई.रोड सरावगी मेन्शन के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर	

140

K

17	MDZ-68	16X8	टोक रोड, रिजर्व बैंक के पास, तख्तेशाही रोड के उत्तरी कोने पर।	
18	MDZ- 73	16X8	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास गांधीनगर स्टेशन रोड पर, सरस पालर के सामने, रेलवे दीवार के पास फुटपाथ पर।	
19	MDZ- 75	30X15	बजाज नगर ऐनकलेवा स्कीम के सामने,, रेलवे क्वार्टर के बाहर, रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	
20	MDZ- 78	16X8	जवाहर नगर, सेक्टर 7 के पास बने, सुलभ शौचालय के बाहर, कोने पर फुटपाथ पर।	
21	MDZ- 80	16X8	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, आरओबी से पहले, वनविभाग की दीवार के पास बने फुटपाथ पर, आरओबी देखते हुये	
22	MDZ- 88	16X8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड की ओर से विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
23	MDZ- 89	16X8	जवाहर नगर बाईपास, श्री नवलकिशोर शर्मा रोटरी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, आगरा रोड जाने वाले रास्ते के पास खाली भूमि पर आगरा रोड की ओर से विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
24	MDZ- 90	16X8	झालाना ढूंगरी महात्मा गांधी मार्ग पर अरण्य-भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर।	New



यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन मई 2017
नीलामी की सूची

1	VDZ-03	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर	
2	VDZ-08	16X8	झोटवाड़ा रोड़, सुभाष नगर जाने वाले रोड़ के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.न. 2।	
3	VDZ-10	16X8	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुये	
4	VDZ-11	16X8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
5	VDZ- 14	16X8	विद्याधर नगर, सिने स्टार चौराहा के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर।	
6	VDZ- 15	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
7	VDZ- 16	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 2	
8	VDZ- 18	16X8	विद्याधर नगर निर्माण विहार, सेक्टर-3 के आगे सिने स्टार चौराहा के पास फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
9	VDZ- 20	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 1।	
10	VDZ- 21	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।	
11	VDZ- 23	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।	
12	VDZ- 27	16X8	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरो-पूर्वी कोने पर	

13	VDZ- 39	16X8	विद्याधर नगर,, पुराने विद्याधर नगर सर्किल पर पश्चिमी की ओर कोने पर।	
14	VDZ- 41	16X8	कलेकट्री सर्किल पर कबीर मार्ग के कोने पर, साईट सं. VDZ-44 के पास जयसिंह हाईवे रोड़ की ओर।	
15	VDZ- 42	16X8	कलेकट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर जयसिंह हाईवे की ओर।	
16	VDZ- 47	16X8	झोटवाडा रोड़ चांदपोल शमसान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुये।	
17	VDZ- 53	16X8	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	
18	VDZ- 58	30X15	चिंकारा कैटिन के सामने साईट सं. 45 के पास चिंकारा कैटीन की ओर सर्किल देखते हुये	
19	VDZ- 59	30X15	कलैकट्री सर्किल अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर	



यूनिपोल साईट
सिविल लाईन जॉन मई 2017
नीलामी की सूची

1	CLZ- 12	16x8	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास, सहकार भवन देखते हुये।	
2	CLZ- 41	16x8	सरदार पटेल मार्ग, गोवर्मेन्ट प्रेस सर्किल एम. ई.एस. की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानांतर	
3	CLZ- 90	16x8	टोके रोड फल मण्डी रोड, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर	
4	CLZ- 94	16x8	कर्णीस रोड, झारखंड महादेव तिराहे, पेट्रोल पंप के सामने, मिलकट्टी दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
5	CLZ-107	30X15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने फुटपाथ पर हसनपुरा देखते हुये।	
6	CLZ-108	30X15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिया आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने राजपूताना होटल देखते हुये।	New



यूनिपोल साईट
मानसरोवर जौन मई 2017
नीलामी की सूची

1	MSZ-03	16x8	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट की पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
2	MSZ-05	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पोईट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.2।	
3	MSZ-07	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
4	MSZ-08	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
5	MSZ-12	16x8	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुये।	
6	MSZ-34	16x8	मानसरोवर शिप्रापथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिप्रापथ देखते हुये।	
7	MSZ-54	16x8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पोईट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एस. एफ.एस की ओर।	
8	MSZ-58	30x15	हिम्मत नगर आरोबी के पास, उत्तरी-पश्चिम की ओर पी.एच.डी. पम्प हाउस के गेट के पास हिम्मत नगर देखते हुये	
9	MSZ-64	16x8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी-पोईट पर श्री राम व्हीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
10	MSZ-65	16x8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी-पोईट पर श्री राम व्हीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
11	MSZ-66	16x8	गोपालपुरा बाईपास, किसान धर्मकांठे से आगे 200 फीट बाईपास के टी-पोईट पर ग्रीन ऐवन मैरिज गार्डन के पास फुटपाथ पर	New

यूनिपोल साईट
आमेर जोन मई 2017
नीलामी की सूची

1	AMZ-01	16X8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर।	
2	AMZ-02	16X8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न. 2	
3	AMZ-03	16X8	आमेर होटल के.के. रायल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंती रंगमंच की दीवार के पास।	
4	AMZ-04	16X8	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति किलनिक के पास पूर्व की ओर बने फायर स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	
5	AMZ-08	16X8	आमेर रोड, होटल होली डे इन, के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुये।	
6	AMZ-09	16X8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.1	
7	AMZ-17	16X8	आमेर रोड, कुण्डा, ज्योति किलनिक के पास।	



यूनिपोल साईट
सांगानेर जॉन मई 2017
नीलामी की सूची

1	SNZ-42	16X8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	
2	SNZ-44	16X8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1।	
3	SNZ-53	16X8	टोंक रोड़, सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुये।	
4	SNZ-57	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास।	
5	SNZ-58	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	
6	SNZ-59	30X15	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर देखते हुये।	



**यूनिपोल साईट
हवामहल (पूर्व) जॉन मई 2017
नीलामी की सूची**

1	HMZ (E)- 03	16x8	दिल्ली रोड बाईपास, इंदगाह के पास पूर्व की ओर।	
2	HMZ(E)-8	16x8	दिल्ली रोड बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.न. 4।	





कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)
मई 2017 नीलामी की सूची

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	विद्याधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
3	मोतीझुंगरी जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
4	सांगानेर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र





कार्यालय नगर निगम जयपुर
4 निर्मित यूनिपोल "20x10"
मई 2017
नीलामी की सूची

क्र. सं.	स्थान
1	आमेर कुण्डा।
2	पानी पेच।
3	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर।
4	रामगढ मोड़।



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री)

मई 2017

नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	सीकर रोड़, भवानी निकेतन गल्स कॉलेज के बाहर।
2	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मुक बधिर विद्यालय के पास।
3	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पुलिस मैमोरियल के पास, सुराणा के बाहर।
4	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गणेश मंदिर के पास, बिडला मंदिर।
5	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिडला मंदिर सर्किल, गणेश मार्ग के पास।
6	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान विश्वविद्यालय, कानोडिया कॉलेज के सामने।
7	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोददार स्कूल के बाहर।
8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर के पास, जवाहर कला केन्द्र के सामने।
9	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर।
10	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, एम.एन.आई.टी. के गेट के सामने, मंदिर के पास।
11	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस संकूल के सामने।
12	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, फ्लाई ओवर के बाद मालवीय नगर डी-ब्लॉक के सामने।
13	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेनपेक्ट के पास।

14	टोंक रोड, फ्लाईओवर के आगे, चौधरी पेट्रोल पंप के सामने।	
----	--	--



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)



लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल), साईज 8' X 4' फुट
मई 2017
नीलाम की सूची

क्र. सं.	साईट नं.	साईट का स्थान		
1	CLZ-01	टॉक रोड, नेहरू पैलेस के कोने पर फल मण्डी की ओर।		
2	CLZ-02	टॉक रोड, अपेक्ष सॉल के पास।		
3	CLZ-03	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. गेट नं.-2 के बाहर।		
4	CLZ-04	सरदार पटेल मार्ग, चौमू हाऊस सर्किल।		
5	CLZ-05	एम.आई.रोड, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, गवर्नरमेन्ट हॉस्टल चौराहा, होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की दीवार के पास।		
6	CLZ-06	संसार चन्द्र रोड, आनन्द भवन के सामने।		
7	CLZ-07	अशोक मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल के पास।		
8	CLZ-08	एम.आई.रोड आकाशवाणी की दीवार के पास।		
9	CLZ-09	तिलक मार्ग के कॉर्नर पर।		
10	CLZ-10	अजमेर रोड, कर्वीस रोड जाने वाले रास्ते के कोने पर।		
11	CLZ-11	अजमेर रोड सोडाला, अजमेर पुलिया के पास।		
12	CLZ-12	हवा सड़क, बाईस गोदाम पुलिया के पास।		
13	CLZ-13	हवा सड़क सिविल लाईन रोड के पास कोने पर दीवार के पास।		
14	CLZ-17	सरदार पटेल मार्ग। महेन्द्र कोटक के पास।		
15	HMZ (E)-14	आगरा रोड, कब्रिस्तान की दीवार के पास।		
16	HMZ (E)-18	रामगढ़ मोड, आमेर रोड तिराहे पर उत्तरी - पश्चिमी दीवार के पास।		
17	HMZ (W)-19	आमेर रोड, जलमहल के सामने, परसराम द्वारा की दीवार के पास।		
18	HMZ (W)-20	आमेर, मावठा चौक, जीप स्टेण्ड के पीछे दीवार के पास।		
19	HMZ (W)-21	आमेर, मावठा चौक।		
20	SNZ-22	गोपालपुरा बाईपास पुलिया के पास।		
21	SNZ-25	टॉक रोड, तारों की कूट, पेट्रोल पम्प के सामने।		
22	SNZ-26	एयरपोर्ट के पास।		
23	SNZ-27	एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल के पास।		
24	MSZ-28	मानसरोवर मध्यम मार्ग।		
25	MDZ-29	एम.आई.रोड, यादगार के सामने आर.एस.ई.बी. की दीवार के पास।		
26	MDZ-30	टॉक रोड, नारायण सिंह तिराहा।		
27	MDZ-31	टॉक रोड, एस.एम.एस. अस्पताल के पास।		

28	MDZ-32	एम.आई. रोड़ सॉगानेरी गेट, महिला चिकित्सालय के गेट के पास, रामनिवास बाग की रेलिंग के पास।		
29	MDZ-33	गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी रोड़ के कोने पर।		
30	MDZ-34	भवानी सिंह रोड़, रामबाग सर्किल।		
31	MDZ-35	टोक रोड़, गाँधीनगर, नेहरू बाल उद्यान के पास।		
32	MDZ-36	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर कैंसर अस्पताल की दीवार के पास।		
33	MDZ-37	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल।		
34	MDZ-38	बापू नगर, जनता स्टोर।		
35	MDZ-15	पिंक स्क्वायर के सामने, गोविन्द मार्ग।		
36	MDZ-16	जे.एल.एन.मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।		
37	MDZ-23	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।		
38	MDZ-24	जे.एल.एन. मार्ग, गांधी सर्किल।		
39	VDZ-39	झोटवाडा रोड़ चॉदपोल शमशान की दीवार के पास।		
40	VDZ-40	झोटवाडा रोड़, चमत्कारेश्वर मंदिर, दुध मण्डी के पास।		
41	VDZ-41	झोटवाडा रोड़, पानीपेच वाटर वर्क्स स्कूल की दीवार के पास।		
42	VDZ-42	जयसिंह हाईवे रोड़, कलेक्ट्री सर्किल, कबीर मार्ग की ओर यूरेनियल के पास।		
43	VDZ-43	जयसिंह हाईवे बनीपार्क फायर स्टेशन की दीवार के पास।		
44	VDZ-44	स्टेशन रोड़, खासाकोठी।		
45	VDZ-45	कलेक्ट्री सर्किल अशोका होटल की दीवार के पास।		
46	VDZ-46	सीकर रोड़, चौमू रोड तिराहा, मिलिट्री की दीवार के पास।		
47	VDZ-47	सीकर रोड़, सोनी अस्पताल की दीवार के पास।		
48	VDZ-48	झोटवाडा रोड़, पुलिया के पास।		
49	VDZ-49	झोटवाडा रोड़, हाईपर सिटी मॉल के सामने।		
50	VDZ-50	शास्त्री नगर कांवटिया सर्किल के पास।		

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)



25 निर्मित डिजिटल यूनिपोल मई 2017 नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन. मार्ग, क्लार्क होटल के बाहर।
2	जे.एल.एन. मार्ग, ओटी.एस. सर्किल बिड़ला मंदिर देखता हुआ।
3	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान कॉलेज के बाहर।
4	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर।
5	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास।
6	जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मंदिर सर्किल।
7	जे.एल.एन. मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।
8	जे.एल.एन. मार्ग, सूचना केन्द्र देखता हुआ।
9	सरदार पटेल मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, बी.जे.पी. कार्यालय के बाहर।
10	सरदार पटेल मार्ग, राजमहल पैलेस क्रोसिंग।
11	सरदार पटेल मार्ग, बींस रेस्टोरेंट के पास।
12	एम.आई.रोड, अजमेरी गेट।
13	एम.आई.रोड, सरावगी मेंशन के सामने।
14	एम.आई.रोड, गणपति प्लाजा के पास।
15	एम.आई.रोड, न्यू गेट।
16	एम.आई.रोड, खासाकोठी सर्किल।
17	एम.आई.रोड, खासाकोठी सर्किल पेट्रोल पंप देखता हुआ।
18	एम.आई.रोड, खासाकोठी सर्किल, एम.आई.रोड देखता हुआ।
19	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज।
20	रामबाग सर्किल, टॉक रोड कार्नर।
21	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज के पास।
22	गोर्वमेंट हॉस्टल, सर्किल।
23	गोर्वमेंट हॉस्टल, गोर्वमेंट प्रेस।
24	गोर्वमेंट हॉस्टल, सरदार पटेल मार्ग कार्नर।
25	गोर्वमेंट हॉस्टल, गोर्वमेंट प्रेस सर्किल अशोक मार्ग देखता हुआ।